अपर उपायुक्त, सरायकेला – खरसावॉ का न्यायालय, सरायकेला ।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0–17/2016–17

बनवारी लाल अग्रवाल एवं अन्य

वनाम

रूकमनी माझी एवं अन्य

26/12/2016

यह अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0– 09/2015–16 में दिनांक–30.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध 1. बनवारी लाल अग्रवाल पिता स्व0 कालू राम अग्रवाल 2. सीताराम अग्रवाल पिता स्व0 गौरीशंकर अग्रवाल 3. अशोक अग्रवाल पिता स्व0 चिरंजीलाल अग्रवाल 4. सजन अग्रवाल पिता स्व0 दीनदयाल अग्रवाल ग्राम–सीनी थाना–सरायकेला जिला– सरायकेला – खरसावॉ के द्वारा अपील वाद दायर किया गया है। इस वाद के प्रतिवादी 1. रूकमनी माझी पिता स्व0 गोपा मांझी 2. रूपा माझी, पिता स्व0 मेघराय माझी ग्राम– सीनी थाना–सरायकेला जिला– सरायकेला – खरसावॉ है। वादग्रस्त भूमि का विवरणी इस प्रकार है –

क0सं0	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)
1	सीनी	170	163	555	0.31
				557	0.58
				230	0.37
				कुल रकवा–	1.26 एकड़

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बतलाया गया कि यह मामला छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71ए के अंतर्गत विचारणीय नहीं है क्योंकि वे सन् 1948 से दखलकार हैं। वर्ष 1967 में उन्होंने आवेदित भूमि पर पक्का मकान बनाया जिसपर गोदाम एवं बाउण्ड्री है और उसमें वो निवासित है। इस भूमि पर टाईटल शूट नं0–9/1965 कालूराम अग्रवाल एवं अन्य वनाम मेघराय माझी एवं अन्य में वाद चला जिसमें सूलहनामा के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की गई एवं वर्ष 1948 में इन्हें दखल प्राप्त हुआ था जो सरायकेला राजा के शासनाधीन था और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम प्रभावी नहीं था। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के सरायकेला एवं खरसावॉ अधिनियम 1951 की कंडिका –2 से संबंधित प्रति भी उपलब्ध कराया गया है।

इसके पूर्व भू वापसी वाद सं0–5/1970–71 दायर किया गया था जिसमें तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी ने मामले की जांच कर दिनांक 27.11.1970 को कार्रवाई बंद कर दिये थे। वादीगण ने नामांतरण वाद सं0–226/1971–72 के द्वारा अपने नाम से दिनांक 18.11.1971 को नामांतरण करवाया और तब से लगातार वार्षिक लगान का भुगतान करते आ रहे हैं। निबंधित दस्तावेज सं0–3698 दिनांक 28.07.1992 के द्वारा वादीगणों ने आपसी बंटवारा कर अपने हिस्से की जमीन पर दखलकार है। जो जमीन का स्वरूप परिवर्तित होकर वासगीत हो चुका है। सरायकेला राज्य का विलय 1951 में होने के बाद अनुसूचित क्षेत्र घोषित हुआ जबकि प्रतिवादीगण का दावा वर्ष 1948 से है । अतः यह वापसी का दावा कालबाधित है और आवेदन पत्र खारिज किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड हाल सर्वे खतियान में मेघराय माझी एवं अन्य, जाति–संथाल के खाते की भूमि है जो अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के व्यक्ति हैं और वादीगण ने टाईटल शूट नं0–9/1965 दायर किया जिसमें उपायुक्त को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए यह collusive डिग्री है और कोल्यूसिव डिग्री के आधार पर की गई नामांतरण मान्य नहीं है। साथ ही R.P. case No–5/70–71 किस कारण समाप्त की गई यह स्पष्ट नहीं है इसलिए प्रश्नगत भूखण्ड आदिवासी की खाते की होने के कारण भूवापसी वाद के तहत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सरायकेला द्वारा पारित आदेश उचित है। उपर्युक्त विन्दुओं के आलोक में निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं–

1. सर्वे 1961 में मौजा–सीनी, थाना सं0–170, खाता सं0–163 अंतर्गत भूमि मेघराय माझी एवं अन्य, जाति संथाल के नाम से दर्ज है जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति हैं।
2. टाईटल शूट नं0–9/1965 द्वारा सूलहनामा डिग्री के आधार पर नामांतरण वाद सं0– 226/71–72 द्वारा कालूराम अग्रवाल, गौरीलाल अग्रवाल, चिरंजीलाल अग्रवाल, दीनदयाल अग्रवाल ससभी के पिता राधाकिशन अग्रवाल के नाम पर नामांतरित है।
3. पूर्व में भूवापसी वाद सं0–5/70–71 में अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा की गई पारित आदेश की प्रति वादीगण के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सका परंतु इस वाद में तत्कालीन अंचल अधिकारी, सरायकेला द्वारा दिनांक 27.11.1970 में समर्पित की गई जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड में वादीगण के द्वारा पक्का मकान, राईस मिल आदि निर्मित है । प्रश्नगत खाता सं0–163 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह हाल सर्वे 1961 का है जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.12.1961 को हुआ है। विपक्षी प्रश्नगत भूमि पर 1948 से दखल का दावा करते हैं । वास्तव में 1948 से प्रश्नगत भूमि पर यदि दखल होता तो सर्वे 1961 में उनके नाम से खाता खुलता । साथ ही इनके द्वारा सर्वे खतियानी इंद्राज के विरूद्ध आपत्ति भी दायर नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर आदिवासी रैयत का दखल

अंतिम सर्वे तक था। और आवेदक गैर आदिवासी का दखल अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार 1970 में है।

उक्त विन्दुओं में उल्लेखित तथ्यों को देखने से ज्ञात होता है कि टाईटल शूट नं0– 9/1965 में उपायुक्त को पक्षकार नहीं बनाने के कारण यह collusive डिग्री है एवं इसके आधार पर की गई नामांतरण नियमसंगत नहीं हे। अनुसूचित जनजाति की भूमि पर गैर अनुसूचित जन जाति को नामांतरण सक्षम न्यायालय से विनियमित होने के उपरांत ही वैध है। इसलिए collusive डिग्री के आधार पर खोली गयी जमाबदी को रदद करने की आवश्यकता है। अतएव निम्न न्यायालय इसपर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी को निदेशित करें।

उक्त कंडिका–3 के आलोक में स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड में वर्ष 1961 में आदिवासी एवं वर्ष 1970 में गैर आदिवासी का दखल में है। इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71ए के अनुसार "Provided further that where the deputy Commissioner is satisfied that the transferee has constructed a substantial structure or building on such holding or portion thereof before coming into force of the Bihar Scheduled areas regulation 1969, he may, not withstanding any other provisions of the Act , validate such transfer where the transferee either makes availlable to the transferor an alternative holding or portion thereof as the case may be , of the equivalent value of the vicinity or pays adequate compensation tobe determined by the Commissioner for rehabilitation of the transferor ."

निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश में इस विन्दु पर किसी प्रकार की समीक्षा नहीं की गई कि गैर आदिवासी का दखल प्रश्नगत भूखण्ड में बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के लागू होने के पूर्व से था अथवा नहीं ।

अतः उक्त विन्दु पर पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश देने हेतु अभिलेख निम्न न्यायालय को remand back किया जाता है। तद्नुसार अपील आवेदन स्वीकृत । इस आशय की सूचना दोनों पक्षो को दें।

वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित

अपर उपायुक्त
सरायकेला – खरसावॉ।

अपर उपायुक्त
सरायकेला – खरसावॉ।